संख्या: 08/XXXVI/ (एक)2008-43-एक
(1)/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार वर्मा
अपर सचिव न्याय एवं अपर विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता,
उत्तराखण्ड,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग–1

देहरादून, दिनांक 07 जनवरी, 2008

विषय:– अपर महाधिवक्ता को अनुमन्य फीस में संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 126–एक(6)/छत्तीस(1)/न्या. अनु./2005 दिनांक 12 सितम्बर, 2005 एवं अपर महाधिवक्ता को अनुमन्य फीस का स्पष्टीकरण विषयक शासनादेश संख्या 241/XXXVI/ (1)/2006 दिनांक 13 जुलाई, 2006 को अधिक्रमित करते हुए श्री राजपाल मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,नैनीताल हेतु आबद्ध किये जाने वाले अपर महाधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित दरों पर फीस दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1)	रिटेनर फीस नियत	- रु0 7,500 प्रतिमाह (रुपये सात हजार पांच सौ मात्र प्रतिमाह)
(2)	मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,– नैनीताल के समक्ष पैरवी/बहस करने की फीस–(चाहे एक से अधिक कितने मामलों में बहस की जाये)	रु0 5,000 प्रतिकार्य दिवस (रुपये पांच हजार मात्र प्रतिकार्य दिवस)

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय–व्ययक अनुदान संख्या 04 के अधीन लेखाशीर्षक 2014–न्याय प्रशासन–आयोजनेत्तर–114–विधि सलाहकार परामर्शदाता (काउंसिल)–00–03–महाधिवक्ता–00–16–व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान के नामे डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 1201/वित्त अनुभाग–5/2008 दिनांक 07 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव, न्याय

संख्याः 08(1)/XXXVI/(एक)2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून ।

2– कोषाधिकारी नैनीताल ।

3– श्री अरुणेन्द्र चौहान, विशेष कार्याधिकारी, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ ।

4– वित्त अनुभाग–5 ।

5– निदेशक, एन.आई.सी. उत्तराखण्ड, देहरादून।

6– विभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(के0 पी0 पाटनी)
अनुसचिव ।

07010805.pdf